न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (राज.)

मुकदमा सं.

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पत्रावली [illegible] आज अदालती [illegible] रखा है। [illegible] अनुसार दिनांक 19/12/24 को पेश हो।	
19/12/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्थ है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 28/1/25 को पेश हों।	
28/1/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21/3/25 को पेश हो।	
21/3/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 15/04/25 को पेश हो।	
15/04/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 LRAct अस्वीकार कर खारीज किया जाता है निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से [illegible] दफ्तर दाखिल हो	

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer S
Yadav
Date: 2025.05.26 11:53:32 I
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस.)
प्रार्थना पत्रः–67 / 2021
जी.सी.एम.एस नं.–2021 / 69

1. हंसराज पुत्र स्व. कुरड़ाराम उम्र 56 साल
2. कृष्ण कुमार पुत्र स्व. श्रीराम उम्र 38 साल
3. ईश्वरसिंह पुत्र स्व. श्रीराम उम्र 37 साल
4. समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी जाट की तन रामकुमारपुरा ग्राम पंचायत पपुरना, तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राजस्थान ।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर, राजस्थान ।

–अप्रार्थी

उपस्थितिः– श्री राजेन्द्रसिंह तंवर एडवोकेट–प्रार्थीगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

निर्णय

दिनांक :– 15/04/25

प्रार्थना पत्र के सारभूत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि भूमि ख.नं. 653 रकबा 0.35 हैक्ट. ख.नं. 657 रकबा 0.35 हैक्ट. कुल किता 2 कुल रकबा 0.70 हैक्ट. राजस्व ग्राम गांवली पटवार हल्का बिहारीपुर तहसील नीमकाथाना में स्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थी संख्या 1 का पिता व प्रार्थीगण 2 व 3 के दादा के नाम हिस्सा 1/4 दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता व दादा का नाम सुन्दरा पुत्र दयाराम निवासी ढाणी जाट की तन रामकुमारपुरा, ग्राम पंचायत पपुरना तहसील खेतड़ी सहवन से गलत दर्ज हो गया। जबकि सही नाम कुरड़ाराम पुत्र दयाराम है। प्रार्थीगण की अन्य खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम रामकुमारपुरा में स्थित है जिसमें सही नाम कुरड़ाराम पुत्र दयाराम दर्ज है। लेकिन राजस्व ग्राम गांवली में स्थित भूमि में सुन्दरा पुत्र दयाराम गलत दर्ज हो गया जो सहवन से हुआ है की जगह कुरड़ाराम पुत्र दयाराम दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में ग्राम गां[illegible] जमाबंदी खाता संख्या 172 सम्वत 2075–2078, मृत्यु प्रमाण पत्र श्रीराम पुत्र कुरड़ाराम, कुरड़ाराम पुत्र दयाराम, पतासी देवी कुरड़ाराम तथा ग्राम रामकुमारपुरा तहसील [illegible] खेतड़ी जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 परिवार राशन कार्ड हंसराज पुत्र कुरड़ाराम फोटो [illegible] पत्र तथा आधार कार्ड आदि की फोटो प्रतियां पेश की गई है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.05.26 14:53:32 IST
Reason: SelfAttested

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

उक्त तथ्यों के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर वास्ते सुनवाई नोटिस विरूद्ध अप्रार्थी जारी की गया। अप्रार्थी तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा पत्रांक 279 दिनांक 28.02.2023 जवाब पेश किया गया।

प्रार्थीगण अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात तथा रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना का अवलोकन किया गया। **मुख्य रूप से प्रार्थीगण ग्राम गांवली के भूमि ख.नं. 653 रकबा 0.35 हैक्ट. ख.नं. 657 रकबा 0.35 हैक्ट. कुल किता 2 कुल रकबा 0.70 हैक्ट.में दर्ज खातेदार सुन्दरा पुत्र दयाराम के स्थान पर कुरड़ाराम पुत्र दयाराम दुरूस्त कराना चाहते है।**

प्रार्थीगण द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है वह ग्राम गांवली के खसरा नम्बरान पर चस्पा व प्रमाणित नहीं होते है। धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में लिपिकिए त्रुटि को ही दुरूस्त किया जा सकता है। विवादित खसरा नम्बरान में यदि पूर्व की जमाबंदी में नाम सही होना तथा बाद की जमाबंदी में गलत होना पाया जाता तो न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को अनुतोष दिया जा सकता था। इस संबंध में कोई पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। भूमिधारी तहसीलदार नीमकाथाना की रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण रिकार्ड दुरूस्ती का प्रमाणित नहीं होता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर एवं रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना के प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट अस्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.)

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.05.26 11:53:32 IST
Reason: SelfAttested